रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4110] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2019/पौष 2, 1941
No. 4110] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2019/PAUSHA 2, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4593(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)** (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है), जो भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, का प्रशासन कर रहा है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2017-18 और 2018-19 में दो रूपों में की गई थी;

और, इस योजना में जिन लोगों ने यह योजना ली हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदग्राही के रूप में उल्लेख किया गया है), को प्रतिफल की सुनिश्चित दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा के रूप में उल्लेख किया गया है) की परिकल्पना की गई है। योजना के अधीन निधियों के प्रबंधन का दायित्व योजना के अधीन यथा अभिकल्पित इसके लिए आबंटित प्रबंधन व्यय और पॉलिसीधारकों को सुनिश्चित प्रतिफल में कमी यदि कोई हो, की व्यवस्था निर्धारित करके एलआईसी को सौंपा गया है;

और, जहां तक पूर्वोक्त योजना का संबंध है आवर्ती व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों से, आधार संख्यांक होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) किसी व्यक्ति को, जो स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने का इच्छुक हो और उसके पास आधार संख्यांक नहीं है या उसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को योजना के लिए पंजीकरण से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो तथा ऐसे व्यक्ति को आधार के लिए नामांकन हेतु किसी आधार नामांकन केन्द्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से, उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया आधार नामांकन की अपेक्षा है तथा संबंधित ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में ऐसे आधार नामांकन केन्द्र के न होने की दशा में विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से अथवा उन्हें यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार में लाकर सुविधाजनक स्थान पर नामांकन सुविधा प्रदान करेगा:

परन्तु कि जब तक व्यक्ति को आधार न दिया जाए तब तक ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन निम्नलिखित पहचान का दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करवाया हो तो उसके आधार नामांकन की पहचान पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन संबंधी उसके अनुरोध की प्रति; और

(ख) इनमें से कोई एक दस्तावेज अर्थात्:-

(i) फोटो सहित बैंक पासबुक या डाक घर पासबुक; या

(ii) मतदाता पहचान पत्र कार्ड; या

(iii) राशनकार्ड; या

(iv) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या

(v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(vi) पासपोर्ट; या

(vii) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके सरकारी लैटर हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति की फोटो वाला पहचान पत्र; या

(x) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उक्त दस्तावेज की जांच उस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी या इसकी कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था करेगा।

3. ऐसे सभी मामलों, जिनमें फायदाग्राहियों के अस्पष्ट बायोमीट्रिक के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार का अधिप्रमाणन असफल हो जाता है तो निम्नलिखित सुधारात्मक प्रक्रिया अपनायी जाएगी, अर्थात्:-

(क) अस्पष्ट अंगूली छाप के मामले में अधिप्रमाणन हेतु समेकित जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, इसके संबंध में विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से निर्बाध रूप से लाभ सुपुर्दगी हेतु फिंगर प्रिंट अधिप्रमाणन सहित चेहरा अधिप्रमाणन के लिए समेकित जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनर हेतु व्यवस्था करेगा;

(ख) जिन मामलों में अंगूली छाप अथवा समेकित जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के जरिए बायोमीट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, उन मामलों में व्यवहार्य और स्वीकार्य आधार वन टाईम पासवर्ड या सीमित समय की वैधता के साथ समय आधारित वन टाईम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, का प्रस्ताव किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों, जिनमें बायोमैट्रिक अथवा आधार वन टाईम पासवर्ड या समय आधारित वन टाईम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, योजना के अधीन प्रसुविधाएं मूर्त आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं, जिसकी

अधिप्रमाणन आधार पत्र पर छपे त्वरित अनुक्रिया कोड के माध्यम से प्रमाणित की जा सकती है और विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से त्वरित अनुक्रिया कोड को पढ़ने की अपेक्षित व्यवस्था की जाएगी;

4. यह अधिसूचना असम तथा मेघालय राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. I-13016/01/2017-बीमा-I]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2019

S.O. 4593(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Financial Services (*hereinafter referred to as the Department*), Ministry of Finance in the Government of India is administering the **Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)** (*hereinafter referred to as the Scheme*) which is a pension scheme for the senior citizens implemented through Life Insurance Corporation of India (LIC) (*hereinafter referred to as Implementing Agency*). The Scheme was announced in two versions in Union Budget 2017-18 and 2018-19;

And whereas, the Scheme envisages an assured rate of return *(hereinafter referred to as the benefit)* to the individuals who purchase this plan (*hereinafter referred to as the beneficiaries*). LIC is entrusted with the responsibility of managing the funds under the Scheme with a provision of management expenses allocated therefor, and the shortfall, if any, in the assured returns to the policy holders as envisaged under the Scheme;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to apply for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Bank Passbook or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Voter Identity Card; or

(iii) Ration Card; or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vi) Passport; or

(vii) MGNREGA Card; or

(viii) Kisan Photo passbook; or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department;

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department or its Implementing Agency for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefit to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its implementing Agency shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners of face authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefit in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefit under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity may be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency;

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territory administrations except the States of Assam and Meghalaya.

[F. No. I-13016/01/2017-Ins-I]

LALIT KUMAR, Economic Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.12.24 16:01:38 +05'30'